न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 65/2023 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2023/59)

1. बलु पुत्र हरभज पुत्र लालु जाति सांसी साकिन डबली बास चुगता तहसील हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. महेन्द्र सिह पुत्र साहब सिह जाति रायसिख साकिन वार्ड नं. 22 हाल खाजूवाला।
2. मीरा पुत्री बलु राम पत्नि वली जाति सांसी साकिन वार्ड नम्बर 2 नई खुजा हनुमानगढ जक्शन।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्री विजयनगर।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री करण सिह तंवर – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2
3.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

अनुपस्थितः 4. श्री प्रकाशचन्द्र जोईया – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1

निर्णय **दिनांकः 03.07.2024**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर प्रकरण संख्या 155/2014 के निर्णय दिनांक 03.03.2014 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने सहायक कलक्टर श्रीविजयनगर में भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एवं वाद पत्र अ.धा. 88 आर.टी.ए. के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर चक 10 जी.एम. का मु.नं. 222/17 का कि. नं. 1 ता 25 का 25.00 बीघा का वादी को ऑवटी खातेदार टेनेन्ट घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे से प्रतिवादी सं. 2 का नाम हटाते हुए उक्त रकबा वादी के नाम से दर्ज किया जाने के आदेश पारित करने का निवेदन किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर ने अपने निर्णय दिनांक 03.03.2014 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चक 10 जी.एम. का मु.नं. 222/17 का किन.नं. 1 ता 25 का 25.00 बीघा के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे से बलू पुत्र हरभज का नाम हटाते हुए महेन्द्र सिह पुत्र साहब सिह के नाम

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

रिकार्ड मे दर्ज करने के दुरूस्ती आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2014 को निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अभिभाषक बहस के दौरान अनुपस्थित रहे।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा अपीलान्ट के नाम से तहसील सूरतगढ में चक 2 एल.एम. का मुरब्बा नं. 222/17 में 16 बीधा भूमि पुख्ता आवंटन व खातेदारी है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त है, किश्ते जमा करवाकर खातेदारी प्राप्त की है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम बलु पुत्र हरभज था मगर उसके दादा का नाम टिकु था । उसे पक्षकार बनाकर और यह कहते हुए कि मेरी आवंटनशुदा भूमि रेस्पोडेन्ट सं. एक के नाम दर्ज हो गयी है इसे दुरूस्त किया जावे। सैक्शन 136 मे मात्र राजस्व रिकॉर्ड मे लिपिकीय त्रुटि ही सुधारी जा सकती है जबकि एक व्यक्ति की आवंटनशुदा भूमि दूसरे के नाम नही हो सकती । जिस बलु को पक्षकार बनया गया था वह सन् 21.01.2008 को फौत हो चुका था। मृतक को पक्षकार बनाकर कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं आदेश पारित कर दिया। उक्त भूमि तहसील सूरतगढ मे है तहसीलदार सूरतगढ की रिपोर्ट पेश है लेकिन उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर ने क्षेत्राधिकार से बाहर आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के संमक्ष रेस्पोडेन्ट सं. 2 उपस्थित हुई थी फिर भी बिना अधिकार के, बिना वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जो निरस्त योग्य है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 की भूमि मुरब्बा नं. 223/17 है। उक्त तथ्य नायब तहसीलदार की रिपोर्ट मे अंकित है कि उसकी भूमि 10 जी.एम. मे पड़ती है तथा मुरब्बा नं. भिन्न है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 03.03.2014 निरस्त फरमावे। अपीलान्ट की भूमि अपीलान्ट के नाम रखी जाने के आदेश फरमावें अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2007 पेज 828, RRD 2016 पेज 394, एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 03.03.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 09.03.2018 को प्रस्तुत की गई है, जिसके साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया जाकर निवेदन किया गया है कि उक्त निर्णय की जानकारी उसे दिनांक 13.02.2018 का पटवारी हल्का से हुई। रेस्पोडेन्ट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के विरूद्ध काउन्टर शपथ पत्र पेश नही किया है। न्यायहित में प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली व दस्तावेजात के अवलोकन से पाया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चक 10 जी.एम. मुरब्बा नं. 222/17 किला नं. 1 ता 25 की कुल 25 बीघा भूमि के राजस्व रिकार्ड में बलू पुत्र हरभज जाति सांसी का नाम हटाते हुए महेन्द्रसिह पुत्र साहबसिह जाति रायसिख का नाम रिकार्ड मे दर्ज किए जाने के आदेश राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत प्रदान किए है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज नही पाया गया जिसमें चक 10 जी एम के मु. नं. 222/17 मे बलू पुत्र हरभज जाति सासी को बतौर खातेदार दर्ज किया गया हो। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार बलू पुत्र हरभज जाति सांसी निवासी डबली बास सरदारा 17 जी.एम. के खसरा नं. 123/19 का खातेदार दर्ज है तथा अपीलान्ट बलू वल्द हरभज कौम सांसी को साकिन डबलीबास चुगता को चक 2 एम एल तहसील सूरतगढ मे भूमि आवटित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई दस्तावेज अथवा विवेचन प्रस्तुत नही किया है जो यह सिद्व करता हो कि राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टि कब बदल गई व अशुद्व प्रविष्टि कब से है, न ही शुद्व व अशुद्व प्रविष्टि की जमाबंदी पत्रावली पर है। रिकार्ड मे लिपिकिय त्रुटि होने संबधी कोई प्रमाण अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे नही पाए गए है। हस्तगत प्रकरण धारा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

136 राजस्व भू राजस्व अधिनियम 1956 की परिधी मे भी नही आता है, क्योकि उक्त प्रकरण में खातेदार विशेष का नाम हटाते हुए महेन्द्र सिह पुत्र साहब सिह का राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज किए जाने के आदेश पारित किए गए है। उक्त विवेचन व विश्लेषण के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.03.2014 विधि द्वारा स्थापित सिद्वान्तो के अनूकूल नही पाया जाता है।

लिहाजा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.03.2014 को निरस्त किया जाता है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 03.07.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर